मुकदमों का विवरण

इंद्रकुनवार बनाम.

छत्तीसगढ़ राज्य (2012 की आपराधिक अपील संख्या 1730) 19 अक्टूबर, 2023

[अभय एस**.** ओका और संजय करोल**,** जेजे।**]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या, उसके खिलाफ कथित दोषपूर्ण परिस्थिति की व्याख्या करते हुए, दोषी-अपीलार्थी को मृत बच्चे के साथ किसी भी संबंध से इनकार करने के अलावा, उसके गर्भपात और उसके बाद के विवरण का खुलासा करना चाहिए था; विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष मृतक और दोषी-अपीलार्थी के बीच इस तरह के संबंध स्थापित करने के अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है।

भारत का संविधान**-**निजता का अधिकार**-**अपराध करने की आरोपी महिला का व्यक्तिगत जीवन**-**अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफलताः

आयोजित किया गयाःशारीरिक और मनोवैज्ञानिक अखंडता के निजी मामलों के संबंध में समानता और गोपनीयता के लिए एक महिला के मौलिक अधिकार का सार अपने शरीर और प्रजनन विकल्पों के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता है-यह पूरी तरह से एक महिला की गोपनीयता के दायरे में है कि वह यह तय करे कि बच्चे को जन्म देना है या नहीं या उसकी गर्भावस्था का गर्भपात करना है (कानून के ढांचे के भीतर)-तत्काल मामले में, अपराध को अपीलार्थी-दोषी पर बिना किसी ठोस आधार के रखा गया है क्योंकि डाबरी में पाए गए उसके और मृत बच्चे के बीच किसी भी प्रकृति का कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है-निष्कर्ष निकाला गया है कि दोषी-अपीलकर्ता केवल इस आधार पर है कि अकेली रहने वाली महिला थी और गर्भवती थी (जैसा कि बयान में स्वीकार किया गया है)। 313 सी. आर. पी. सी.)-अदालत के विचार में, यह अपने आप में संदिग्ध था क्योंकि उसे उसके पति ने 'छोड़ दिया' था-उसका बयान, कहीं भी उस बच्चे के विवरण से संबंधित सवाल का जवाब नहीं देता है जिसे वह स्वीकार कर रही थी, लेकिन इस बात से इनकार किया कि मृतक वह नहीं था जिसे डबरी से बरामद किया गया था-हालांकि कानून 960 द्वारा एक आवश्यकता है।

आपराधिक मामले में निर्णय लेने के लिए आवश्यक पहलुओं का खुलासा करने के लिए, ऐसा कर्तव्य अनुचित और अनुचित रूप से निजता के मौलिक अधिकार पर कदम नहीं उठा सकता है।[पैरा 27,36]

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 -**धारा **313-**कथन यू/एस के लिए समय की अवधि के साथ विकसित सिद्धांत।**313 Cr.PC.:**

आयोजित किया गयाः1. धारा 313 Cr.PC से ही स्पष्ट उद्देश्य अभियुक्त को अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाना है।2. इसका उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच एक संवाद स्थापित करना है-यह प्रक्रिया अभियुक्त को लाभान्वित करती है और न्यायालय को अंतिम निर्णय पर पहुंचने में सहायता करती है।3. निहित प्रक्रिया प्रक्रियात्मक औपचारिकता का विषय नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत, यानी ऑडी अल्टरम पार्टेम पर आधारित है।4. धारा के अनुपालन के संबंध में अंतिम परीक्षा यह पूछताछ करना और यह सुनिश्चित करना है कि क्या अभियुक्त को अपनी बात कहने का अवसर मिला है।5. इस तरह के बयान में, आरोपी संलिप्तता या किसी भी आपत्तिजनक परिस्थिति को स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है या घटनाओं या व्याख्या के एक वैकल्पिक संस्करण को भी स्वीकार कर सकता है-आरोपी को किसी भी चूक या अपर्याप्त पूछताछ से पूर्वाग्रह में नहीं डाला जा सकता है;6. चुप रहने का अधिकार या किसी प्रश्न का कोई भी उत्तर जो गलत हो सकता है, उसका उपयोग उसके नुकसान के लिए नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह एकमात्र कारण है।7. यह कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता है और न तो एक ठोस और न ही सबूत का एक वैकल्पिक टुकड़ा है-यह निर्वहन नहीं करता है, लेकिन अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के प्रमुख सबूत के बोझ को कम करता है-उनका उपयोग अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता की जांच करने के लिए किया जाना है।8. इस कथन को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए-एक भाग को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है।9. ऐसा कथन, जो शपथ पर नहीं है, यू/एस के तहत साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में योग्य नहीं है।3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का; हालाँकि, बयान से उत्पन्न होने वाले आक्षेपात्मक पहलू का उपयोग अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वास दिलाने के लिए किया जा सकता है;10. धारा के तहत अपना बयान देते समय अभियुक्त को जिन परिस्थितियों में नहीं रखा गया है, उन्हें विचार से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें समझाने का कोई अवसर नहीं दिया गया है।11. न्यायालय अभियुक्त के समक्ष सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों को प्रश्नों के रूप में रखने के लिए बाध्य है ताकि उसे अपना बचाव स्पष्ट करने का अवसर मिल सके-इस प्रकार व्यक्त किए गए बचाव की सावधानीपूर्वक जांच और विचार किया जाना चाहिए।12. धारा का पालन न करने से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।[पैरा 34] 961

इंद्रकुनवार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 962

दंड संहिता**, 1860 -**धारा**. 303-**अभियोजन मामला कि दोषी**-**अपीलार्थी के एक सह**-**ग्रामीण के साथ संबंध थे**,** जिसके परिणामस्वरूप उसने एक बच्चे को जन्म दिया**-**उसने**,** जन्म देने पर**,** कथित रूप से इस बच्चे की हत्या कर दी और शव को एक डाबरी **(**छोटे जल निकाय**-**तालाब**)** में फेंक दिया**-**उच्च न्यायालय ने यू**/**एस की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।**302** आई**.** पी**.** सी**.** और निचली अदालत द्वारा पारित सजा का आदेश**-**स्वामित्वः

आयोजित किया गयाःयह स्थापित किया गया है कि किसी प्रश्न या आपत्तिजनक परिस्थिति के लिए नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं जो बयान देते समय किसी अभियुक्त के सामने नहीं रखे जाते हैं।313 Cr.P.C-उसका बयान, कहीं भी उस बच्चे के विवरण के बारे में एक सवाल का जवाब नहीं देता है जिसे वह स्वीकार कर रही थी, लेकिन इस बात से इनकार किया कि मृतक वह नहीं था जिसे उसने डबरी से बरामद किया था-यह रिकॉर्ड की बात है कि किसी भी गवाह ने दोषी-अपीलार्थी को मृत बच्चे को डबरी में फेंकते हुए नहीं देखा है; जैसा कि अब तक देखा गया है, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी प्रकृति के संबंध का कोई निर्णायक सबूत नहीं दिया गया था; दोषी के बयान पर संदेह करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है-डॉक्टर का बयान मृतक की मृत्यु जन्म से पहले या बाद में हुई थी, हालांकि जांच में मुख्य रूप से, डॉक्टर ने बयान दिया है कि मृतक बच्चे की मृत्यु होम थी।[पैरा 36,41,43]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

शफी एन जहां बनाम अशोकन के. एम. (2018) 16 एस. सी. सी. 368:[2018] 4 एस. सी. आर. 955; एस. खुशबू बनाम कन्नियम्मल (2010) 5 एस. सी. सी. 600:[2010] 5 एससीआर 322; के. एस.

पुट्टास्वामी (गोपनीयता-9 जे.) बनाम भारत संघ (2017) 10 एससीसी 1:[2017] 10

एससीआर 569-पर निर्भर।

गीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन 57; शक्ति वाहिनी बनाम.

भारत संघ (2018) 7 एससीसी 192:[2018] 3 एस. सी. आर. 770; सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन। (2009) 9 एससीसी 1:[2009] 13 एस. सी. आर. 989; एक्स बनाम प्रिंसिपल

सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 905; एक्स. वाई. जेड. बनाम गुजरात राज्य

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

& ओआरएस। आपराधिक अपील सं./2023 (@एसएलपी (सीआरएल)) डी. नं. 33790/2023)-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2012 की आपराधिक अपील No.1730।

2005 के सी. आर. एल. ए. सं. 605 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांक 20.04.2010 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

सूर्य नारायण सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, नरेश कुमार, शांतनु शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

गौतम नारायण, सुश्री अस्मिता सिंह, हर्षित गोयल, सुश्री आकृति आर्य, सिद्धांत सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

संजय करोल जे.,

1. वर्तमान अपील में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न हैंः1) निजता का अधिकार अपराध करने की आरोपी महिला के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित मामलों की किस हद तक रक्षा करता है, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है?

2) दंड प्रक्रिया संहिता 1 की धारा 313 के तहत एक बयान में उनके खिलाफ दिखाई देने वाली आपराधिक परिस्थितियों को समझाने के लिए अभियुक्तों के अधिकार या कर्तव्य किस हद तक हैं? 2. दोषी-अपीलार्थी के कहने पर इस अपील ने 20 अप्रैल 2010 की 2005 की आपराधिक अपील में पारित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक फैसले पर आपत्ति जताई, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि का फैसला और सजा का आदेश दिया गया।

1 इसके बाद 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित 2 इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित 963

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैकुंथपुर, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) द्वारा 2004 के सत्र परीक्षण संख्या 525 में पारित दिनांक 4 जुलाई 2005 को बरकरार रखा गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

3. अनावश्यक विवरणों को छोड़ते हुए, अभियोजन पक्ष द्वारा सामने रखे गए मामले के तथ्य इस प्रकार हैंः

3.1 दोषी-अपीलार्थी के एक सह-ग्रामीण, बैगा गोंड के साथ संबंध थे, जिसके परिणामस्वरूप उसने एक बच्चे को जन्म दिया।उसने, जन्म देने पर, कथित तौर पर इस बच्चे को मार डाला और शव को एक डाबरी (छोटे जलाशय-तालाब) में फेंक दिया।

3.2 14 सितंबर 2004 को एक प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई, जिस दिन दोषी-अपीलार्थी के नवजात बच्चे की कथित लाश मिली थी।उचित जाँच के बाद, 13 अक्टूबर 2004 को आरोप पत्र दायर किया गया और अंततः, आरोपी पर आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया।

4. विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद निचली अदालत ने कहा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।4.1 अभियोजन पक्ष ने जय मंगल सिंह-पीडब्लू1 सहित आठ गवाहों को शत्रुतापूर्ण घोषित किया, जिनके कहने पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

4.2 उदाहरण के लिए, अन्य गवाह, सुमित्र-पीडब्लू4, दोषी-अपीलार्थी के गर्भवती होने के बारे में "अनुमान" लगा रही है; कुवारोबाई-पीडब्लू8 ने इस बात से इनकार किया कि उसने कभी दोषी-अपीलार्थी को गर्भवती देखा है और यह भी कि वह अपनी गर्भावस्था को छिपाने के लिए 'चादर' का उपयोग करेगी।

4.3 फिर भी, पीडब्लू1, सूरज कुमार सिंह-पीडब्लू2, रामबरन सिंह-पीडब्लू3, पीडब्लू4, राम झालको-पीडब्लू5, बिरहुलिया-पीडब्लू6, रामबाई-पीडब्लू7, ए. आर. माणिकपुरी (हेड कांस्टेबल)-पीडब्लू9 के बयानों का हवाला देते हुए दोषी-अपीलार्थी के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान के साथ-साथ दोषी-अपीलार्थी के व्यक्ति पर हाल ही में डिलीवरी के संकेतों के बारे में डॉ. दिव्या रानी तिग्गा-पीडब्लू11 के बयान में निम्नलिखित परिस्थितियों को साबित पाया गया है:-

क) अभियुक्त गाँव में अकेला रह रहा था क्योंकि उसका पति उसे छोड़ कर चला गया था।इसके अलावा, वह गर्भवती थी।

ख) डाबरी (छोटे तालाब) में 14 सितंबर 2004 को एक नवजात शिशु का शव मिला था और उससे कुछ दिन पहले यानी 2 से 3 दिन पहले आरोपी ने एक बच्चे को जन्म दिया था।

ग) अभियुक्त ने कुछ नहीं बताया और न ही डिलीवरी के बारे में किसी को बताया।

4.4 उपरोक्त को देखते हुए, निचली अदालत ने पाया कि आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ है।5. उच्च न्यायालय ने हमारे समक्ष दिए गए फैसले में पीडब्लू11 की गवाही पर ध्यान देते हुए, जिसने गवाही दी थी कि उसने जाँच करने पर पाया था कि दोषी-अपीलार्थी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और मृतक को दम घुटने से चोटें आई थीं, आरोपी को दोषी ठहराया।हालाँकि, डॉक्टर स्वीकार करते हैं कि जन्म से पहले या बाद में बच्चे की मृत्यु का उल्लेख नहीं किया गया है।इसका कोई परिणाम नहीं पाया गया क्योंकि मृतक बच्चे के शरीर पर दर्ज चोटों ने मौत को हत्या की प्रकृति का पाया।अंत में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि आवश्यक थी।

6. यह देखा गया है कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए मुख्य रूप से आठ स्वतंत्र गवाहों की गवाही, डॉक्टर पीडब्लू11 की गवाही और धारा 313 Cr.P.C के तहत अभियुक्त के बयान पर भरोसा किया।

हमारा दृष्टिकोण

7. आजीवन कारावास की सजा देने के लिए साक्ष्य की उचित सराहना की आवश्यकता होती है और इसे यंत्रवत और निष्पक्ष तरीके से नहीं दिया जा सकता है।कानून की अपेक्षा है कि उच्च न्यायालय को, साक्ष्य की पुनः प्रशंसा के बाद ही परीक्षण न्यायालय द्वारा वापस किए गए तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए या पलट देना चाहिए।हाल ही में, इस न्यायालय ने गीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 3 मामले में इस मुद्दे पर संक्षिप्त रूप से विचार किया है।

3 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन 57 (2-न्यायाधीशों की पीठ)

965

इंद्रकुनवार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [संजय करोल, जे.] 966

8. चुनौती के तहत निर्णय, जिसका हम पालन करने के लिए विवश हैं, गवाहों की गवाही और अन्य साक्ष्य के संबंध में केवल सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियां करता है, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक साक्ष्य की सराहना के विपरीत है।इस दृष्टिकोण की सराहना नहीं की जा सकती है, विशेष रूप से जब दी गई दोषसिद्धि गंभीर अपराध, यानी आई. पी. सी. की धारा 307 के लिए है। गीता देवी (उपरोक्त) मामले में, अदालत ने पाया कि मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेजने का निर्णय लिया गया है, लेकिन वर्तमान मामले में, इस तरह का मार्ग विवेकपूर्ण नहीं होगा क्योंकि यह अपील वर्ष 2010 की है।इसलिए, हम अभिलेख पर साक्ष्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

9. जय मंगल सिंह-पीडब्लू1, जो घटना के समय सरपंच थे, की गवाही से यह भी पता चलता है कि उन्हें एक ग्रामीण ने तालाब में पाए गए एक नवजात बच्चे के शव के बारे में सूचित किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह किसका है।इसके अलावा, उसे आरोपी की गर्भावस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।उसे नहीं पता था कि बच्चे को कब और किसके द्वारा फेंका गया था।अपनी जिरह में उन्होंने कहा कि डाबरी के पास अन्य लोगों के घर थे जहां शव मिला था।विशेष रूप से, हम पाते हैं कि उनमें से किसी की भी जांच नहीं की जाती है, जो तालाब के पास आरोपी की उपस्थिति की गवाही देता है, और न ही यह गवाह इस तरह के प्रभाव की गवाही देता है।

10. सूरज कुमार सिंह-पीडब्लू2, जिन्होंने अपनी डबरी में एक बच्चे का शव देखा था, स्वीकार करते हैं कि यह जगह सभी तरफ से खुली थी, जहां सभी की पहुंच थी।वह आगे बयान देता है कि उसने किसी भी महिला को, बहुत कम आरोपी को, बच्चे को फेंकते हुए नहीं देखा।

11. रामबरन सिंह-पीडब्लू3, जिसे पीडब्लू2 द्वारा डाबरी में पड़े एक बच्चे के शव के बारे में सूचित किया गया था, स्वीकार करता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि बच्चा किसका था। उसकी गवाही से संदेह और आरोपी पर संदेह करने का कारण पता चलता है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसी महिला थी जिसके पास पति नहीं था।12. श्रीमती. सुमित्रा-पीडब्लू4, अपनी गवाही में, केवल आरोपी के गर्भवती होने के तथ्य का खुलासा करती है।पीडब्लू5 और पीडब्लू6 की गवाही भी समान प्रभाव वाली है।

13. इसी तरह, हालांकि, श्रीमती। रामबाई-पीडब्लू7 अभियुक्त के गर्भवती होने के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करता है, लेकिन केवल यह जोड़ता है कि अभियुक्त का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी-अभी एक बच्चे को जन्म दिया हो।हालाँकि, बाद वाले भाग को पीडब्लू8 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

14. जाँच अधिकारी-पी. डब्ल्यू. 10 की गवाही केवल मौके पर सत्यापन और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के संचालन के प्रभाव के लिए है।

15. पीडब्लू11 चिकित्सा अधिकारी है जिसने बच्चे के मृत शरीर और आरोपी व्यक्ति की जांच की। उन्होंने अपनी राय दी कि बच्चे का समय से पहले, यानी 9 महीने से पहले जन्म हुआ था।उसने यह भी कहा कि चिकित्सा परीक्षण के 45 से 50 घंटों के भीतर बच्चे की मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु प्रकृति में हत्या थी।जाँच में उसने पाया कि आरोपी शारीरिक रूप से कमजोर है।उसने स्वीकार किया कि उसने यह उल्लेख नहीं किया है कि बच्चे की मृत्यु जन्म से पहले हुई थी या बाद में।उसने यह भी उल्लेख नहीं किया कि बच्चा आरोपी व्यक्ति का है या नहीं।

16. इस प्रकार, इनमें से कोई भी गवाह, कम से कम एक उचित संदेह से परे, यह साबित नहीं कर सका कि अभियुक्त ने प्रसव के बाद बच्चे को डबरी में फेंक दिया था या मौत का कारण बना था।

17. अपने बचाव में, दोषी-अपीलार्थी ने किसी भी बच्चे की हत्या करने के आरोप से स्पष्ट रूप से इनकार किया, कम से कम विचाराधीन बच्चे की।वह बताती है कि बैगा गोंड, जिसने उस बच्चे को जन्म दिया था जिसे वह ले जा रही थी, ने बच्चे से छुटकारा पाने के प्रयास में जबरन उसे कुछ दवा देने की कोशिश की।उसने मना करने पर उसे 'सूरज की डबरी' में धकेल दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया।उसके द्वारा स्थापित आगे का बचाव यह था कि उसने बच्चे को नहीं मारा था और उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा था।

18. दोषी-अपीलार्थी के बयान का अवलोकन इस सवाल को जन्म देता है कि क्या उसने अपना अपराध स्वीकार किया था?क्या इस तरह के बयान पर अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी स्थानांतरित हो गई थी?क्या यह कहा जा सकता है कि दोषी-अपीलकर्ता अपनी गर्भावस्था का खुलासा करने के लिए बाध्य था, यदि हां, और ऐसे बच्चे का क्या हुआ जिसे वह कथित रूप से ले जा रही थी?

19. इसके अलावा, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या दोषी-अपीलार्थी को अभियोजन पक्ष या अदालत को यह नहीं बताने का गोपनीयता का कोई अधिकार नहीं है कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ जिसे वह अपने गर्भ में ले जा रही थी, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष किसी भी तरह से आरोपी से संबंधित होने के लिए मृतक को स्थापित करने के प्रारंभिक बोझ और दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा?20. क्या एक महिला में अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित मामलों में

गोपनीयता और गोपनीयता का अधिकार निहित नहीं है, किसी भी परिस्थिति का खुलासा नहीं करने का, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक हो सकता है?

967

इंद्रकुनवार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [संजय करोल, जे.] 968

गोपनीयता पर कानून

21. उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर खोजने में, हमारे लिए हस्तक्षेप करना उचित है जब पितृसत्ता में गहराई से निहित अन्याय और उत्पीड़न की संरचनाएं संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी हैं।4 निजता का अधिकार मानव गरिमा का आधार है और मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए मौलिक है।

22. निजता के अधिकार को समकालीन समय में सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकारों में से एक माना जाता है।कई अलग-अलग देशों और सभ्यताओं में गोपनीयता का सम्मान किया जाता है।यह कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार संधियों द्वारा भी संरक्षित है, जिसमें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, और कई अन्य शामिल हैं।

23. इस अधिकार के महत्व को यू. एस. सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 1958 5 तक विलियम पिट, चैथम के अर्ल को उद्धृत करते हुए रेखांकित किया गया थाः"सबसे गरीब व्यक्ति अपनी कुटीर बोली में क्राउन की सभी ताकत का विरोध कर सकता है।यह कमजोर हो सकता है; इसकी छत हिल सकती है, हवा इसके माध्यम से चल सकती है, तूफान प्रवेश कर सकते हैं; बारिश प्रवेश कर सकती है लेकिन इंग्लैंड का राजा प्रवेश नहीं कर सकता है, उसकी सभी सेनाएँ बर्बाद मकान की दहलीज को पार करने की हिम्मत नहीं करती हैं।"

24. के. एस. पुट्टास्वामी (गोपनीयता-9 जे.) बनाम भारत संघ, 6 में यह न्यायालय,

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) के माध्यम से गोपनीयता की आवश्यक प्रकृति पर चर्चा करते हुए कहाः

"297. फिर, गोपनीयता क्या मानती है?गोपनीयता व्यक्ति के लिए एक निजी स्थान के आरक्षण को स्वीकार करती है, जिसे अकेले रहने के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है।यह अवधारणा व्यक्ति की स्वायत्तता पर आधारित है।किसी व्यक्ति की चुनाव करने की क्षमता मानव व्यक्तित्व के मूल में निहित है।निजता की धारणा व्यक्ति को मानव तत्व पर जोर देने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से अविभाज्य है।मानव व्यक्तित्व की अलंघनीय प्रकृति बनाने की क्षमता में प्रकट होती है

4 जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2019 3 एस. सी. सी. 39 (5-न्यायाधीश पीठ) 5 मिलर बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 357 यू. एस. 301 (1958)

6 (2017) 10 एससीसी 1

मानव जीवन से जुड़े मामलों पर निर्णय।व्यक्ति की स्वायत्तता उन मामलों से जुड़ी होती है जिन्हें निजी रखा जा सकता है।ये ऐसी चिंताएं हैं जिन पर गोपनीयता की वैध अपेक्षा है।शरीर और मन शरीर के अभिन्न अंग हैं।

मानव व्यक्तित्व।शरीर की अखंडता और मन की पवित्रता इस आधार पर मौजूद हो सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अविभाज्य क्षमता और एक निजी स्थान को संरक्षित करने का अधिकार है जिसमें मानव व्यक्तित्व विकसित हो सकता है।इसके बिना

चुनाव करने की क्षमता, व्यक्तित्व की अनुल्लंघनीयता संदेह में होगी।निजता के एक क्षेत्र को पहचानना केवल एक स्वीकृति है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के पाठ्यक्रम को चार्ट करने और आगे बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए।इसलिए निजता अपने आप में मानवीय गरिमा का एक अभिधारणा है।विचार और व्यवहार संबंधी पैटर्न जो किसी व्यक्ति के लिए अंतरंग होते हैं, वे गोपनीयता के क्षेत्र के हकदार होते हैं जहां कोई व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होता है।निजता के उस क्षेत्र में, किसी व्यक्ति को दूसरों द्वारा नहीं आंका जाता है।निजता प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाती है जो मानव व्यक्तित्व में अभिव्यक्ति करती है।यह व्यक्तियों को एकरूपता की सामाजिक मांगों के खिलाफ अपनी मान्यताओं, विचारों, अभिव्यक्तियों, विचारों, विचारधाराओं, प्राथमिकताओं और विकल्पों को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है।गोपनीयता विविधता की एक आंतरिक मान्यता है, व्यक्ति के अलग-अलग होने के अधिकार की और एकांत का क्षेत्र बनाने में अनुरूपता के ज्वार के खिलाफ खड़े होने की।निजता व्यक्ति को उन मामलों में प्रचार की खोज से बचाती है जो उसके जीवन के लिए व्यक्तिगत हैं।गोपनीयता व्यक्ति से जुड़ी होती है न कि उस स्थान से जहाँ

यह जुड़ा हुआ है।निजता सभी स्वतंत्रता की नींव का गठन करती है क्योंकि यह गोपनीयता में है कि व्यक्ति यह तय कर सकता है कि स्वतंत्रता का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाता है। व्यक्तिगत गरिमा और गोपनीयता एक बहुवचन संस्कृति के ताने-बाने में विविधता के धागे से बुने गए पैटर्न में अटूट रूप से जुड़े हुए हैं।

298. व्यक्ति की निजता गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है।गरिमा का एक आंतरिक और वाद्य मूल्य दोनों है।एक आंतरिक मूल्य के रूप में, मानव गरिमा अपने आप में एक अधिकार या संवैधानिक रूप से संरक्षित हित है।इसके वाद्य पहलू में, गरिमा और स्वतंत्रता अविभाज्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दूसरे को प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है।निजता के क्षेत्र की रक्षा करने की व्यक्ति की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के पूर्ण मूल्य का एहसास करने में सक्षम बनाती है। लिबर्टी के पास 969 है

एक व्यापक अर्थ जिसका गोपनीयता एक उपसमुच्चय है।सभी स्वतंत्रताओं का उपयोग गोपनीयता में नहीं किया जा सकता है।फिर भी अन्य को केवल एक निजी व्यवस्था के भीतर पूरा किया जा सकता है।

स्पेस।निजता व्यक्ति को शरीर और मन की स्वायत्तता बनाए रखने में सक्षम बनाती है।व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है।गोपनीयता नहीं है

इसे एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है।लेकिन यह गोपनीयता की वास्तविक प्रकृति और उन मौलिक अधिकारों के साथ इसके संबंधों को समझने के बाद, जो स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं, इसे दिए गए संवैधानिक संरक्षण से अलग नहीं करता है।गोपनीयता संरक्षित स्वतंत्रताओं के दायरे में आती है।...किसी की मानसिक अखंडता और गोपनीयता के बीच का प्रतिच्छेदन व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता, जो सही है उसमें विश्वास करने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।जब ये गारंटी लिंग के साथ प्रतिच्छेदन करते हैं, तो वे एक निजी स्थान बनाते हैं जो उन सभी तत्वों की रक्षा करता है जो हैं

लिंग पहचान के लिए महत्वपूर्ण।परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास सभी व्यक्ति की गरिमा के अभिन्न अंग हैं।

अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताओं को पूरा किया जा सकता है जहां व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं पर निर्णय लेने का हकदार है।..... गोपनीयता के बिना गरिमा का अस्तित्व नहीं हो सकता है।दोनों जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अपरिहार्य मूल्यों के भीतर रहते हैं जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है।

निजता व्यक्ति की पवित्रता की अंतिम अभिव्यक्ति है।यह एक संवैधानिक मूल्य है जो मौलिक अधिकारों के दायरे में फैला हुआ है और व्यक्ति के लिए पसंद और आत्मनिर्णय के क्षेत्र की रक्षा करता है।"

(महिलाओं से संबंधित मामलों पर जोर देते हुए, इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि रचनात्मक समानता हासिल करने के लिए बहुत कुछ वांछित है।हम उस बात का उल्लेख कर सकते हैं जो न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने 7 में कहा हैः

"फाई जीएचटी महिला की स्थिति के लिए नहीं बल्कि मानवीय मूल्य के लिए है।यह दावा महिलाओं की असमानता को समाप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक न्याय को बहाल करने के लिए है।यह बोली परित्यक्त लिंग के लिए नहीं है, बल्कि लौकिक सद्भाव के लिए है जो महिला के आने तक कभी नहीं आता है।

7 V.R.Krishna अय्यर, लॉ एंड लाइफ, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1979,पृ. 31.

26.....हम यह भी मानते हैं कि इस न्यायालय ने शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ **8** में यह मान्यता दी है कि भागीदार चुनने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद **19** और **21** के तहत एक मौलिक अधिकार है।प्रसिद्ध मामले में,

शफी एन जहां बनाम अशोकन के. एम. 9 में यह देखा गयाः-

"84. … विवाह के भीतर या बाहर साथी का चुनाव प्रत्येक व्यक्ति के अनन्य अधिकार क्षेत्र में होता है।विवाह की अंतरंगताएँ गोपनीयता के एक मूल क्षेत्र के भीतर होती हैं, जो अलंघनीय है।"

एस**.** खुशबू बनाम कन्नियम्मल **10** में**,** इस न्यायालय ने कहाः

"46. ..... हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भारत में विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, हमें इस तथ्य के लिए भी अपना दिमाग खुला रखना चाहिए कि कुछ ऐसे व्यक्ति या समूह हैं जो समान विचार नहीं रखते हैं।यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे देश में कुछ स्वदेशी समूह हैं जिनमें वैवाहिक परिवेश के बाहर यौन संबंधों को एक सामान्य घटना के रूप में स्वीकार किया जाता है।यहाँ तक कि सामाजिक मुख्यधारा में भी ऐसे लोगों की एक महत्वपूर्ण संख्या है जो कुछ भी गलत नहीं देखते हैं।

विवाह से पहले यौन संबंध बनाना।सामाजिक नैतिकता की धारणाएं स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक होती हैं और आपराधिक कानून का उपयोग व्यक्तिगत स्वायत्तता के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है।नैतिकता और अपराध एक साथ नहीं होते हैं।**"**

(जोर दिया गया) 27।शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अखंडता के निजी मामलों के संबंध में समानता और गोपनीयता के लिए एक महिला के मौलिक अधिकार का सार अपने शरीर और प्रजनन विकल्पों के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता है।यह पूरी तरह से एक महिला की निजता के दायरे में है कि वह यह तय करे कि बच्चे को जन्म देना है या उसकी गर्भावस्था का गर्भपात करना है (कानून के ढांचे के भीतर)।

28. यह न्यायालय सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन में है। **11,**

यह देखा गया कि किसी महिला का सहमति देने या न देने का वैधानिक अधिकार, चिकित्सा समाप्ति के अनुसार गर्भावस्था की समाप्ति के लिए

8 (2018) 7 एस. सी. सी. 192 (3-न्यायाधीश पीठ) 9 (2018) 16 एस. सी. सी. 368 (3-न्यायाधीश पीठ) 10 (2010) 5 एस. सी. सी. 600 (3-न्यायाधीश पीठ) 11 (2009) 9 एस. सी. सी. 1 (3-न्यायाधीश पीठ)

गर्भावस्था अधिनियम, 1971 को महिला की निजता, गरिमा और शारीरिक अखंडता के अधिकार से अलग किया गया है।

29. एक्स बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, एन. सी. टी. दिल्ली सरकार और अन्य। 12, इस न्यायालय ने टिप्पणी की

कि एक महिला का गर्भवती होने का अधिकार उसकी वैवाहिक स्थिति से विवाहित नहीं है।यह एक विकल्प है, चाहे वह कुछ भी हो।यदि गर्भावस्था की आवश्यकता होती है, तो इसे दोनों भागीदारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।हालांकि, एक अवांछित या आकस्मिक गर्भावस्था के मामले में, बोझ हमेशा गर्भवती महिला पर पड़ता है जो उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन से गुजरना अकेले महिला का निर्णय है, विशेष रूप से जब यह उसका मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य है जो प्रश्न में है।

30.....हाल ही में, यह न्यायालय XYZ बनाम गुजरात राज्य और अन्य मामलों में। 13.

गर्भपात के संदर्भ में दोहराया गया कि गर्भावस्था को समाप्त करने के निर्णय सहित प्रजनन संबंधी निर्णय लेने का प्रत्येक महिला का अधिकार उसकी क्षमता और अधिकार के भीतर है।राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना प्रजनन विकल्प चुनने का प्रत्येक महिला का अधिकार मानव गरिमा के विचार के केंद्र में है।प्रजनन स्वास्थ्य सेवा या भावनात्मक और शारीरिक कल्याण तक पहुंच से वंचित रहना भी महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है।

31. उपरोक्त चर्चा केवल यह इंगित करने के लिए थी कि निजता का अधिकार अलंघनीय है।दुर्भाग्य से, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण और अपनाई गई भाषा दोषी-अपीलार्थी में निहित इस तरह के अधिकार को बर्बाद करती है।यह स्पष्ट है कि बिना किसी ठोस आधार के उस पर दोष लगाया गया है क्योंकि उसके और दबरी में पाए गए मृत बच्चे के बीच किसी भी प्रकृति का कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सका है।निष्कर्ष केवल इस आधार पर निकाला गया है कि दोषी-अपीलकर्ता अकेली रहने वाली महिला थी और गर्भवती थी (जैसा कि 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान में स्वीकार किया गया है)।अदालत के विचार में, यह अपने आप में संदिग्ध था क्योंकि उसे उसके पति ने 'छोड़ दिया' था।

32. ऐसा दृष्टिकोण लिया जा रहा है, अर्थात, एक महिला पर बिना किसी उचित साक्ष्य के एक बच्चे की हत्या करने का अपराध थोपा जा रहा है, केवल इसलिए कि वह

12 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 905 (3-न्यायाधीशों की पीठ)

13 आपराधिक अपील सं./2023 (@एसएलपी (सीआरएल)) डी. नं. 33790/2023)

गाँव में अकेला रह रहा था, जिससे एक दूसरे के दो असंबंधित पहलुओं से जुड़ रहा था; सांस्कृतिक रूढ़िवादिता और लैंगिक पहचान को मजबूत करता है जिसके खिलाफ इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है।14

33. निजता के सिद्धांतों और उनके संबंध में कानून के प्रस्तावों की समझ को ध्यान में रखते हुए, अब हम इस बात की यात्रा करते हैं कि कानून द्वारा, धारा 313 Cr.P.C के तहत दोषी-अपीलार्थी से उसके बयान की क्या आवश्यकता हो सकती है।

34. इस न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों 15 के अवलोकन से निम्नलिखित सिद्धांतों का पता चलता है, जो इस तरह के बयानों पर विचार करते समय समय विकसित हुए हैं।34.1 धारा से ही स्पष्ट उद्देश्य अभियुक्त को अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाना है।

34.2 इसका उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच बातचीत स्थापित करना है।यह प्रक्रिया अभियुक्त को लाभान्वित करती है और न्यायालय को अंतिम निर्णय पर पहुंचने में सहायता करती है।

34.3 निहित प्रक्रिया प्रक्रियात्मक औपचारिकता का मामला नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत, यानी ऑडी अल्टरम पार्टेम पर आधारित है।

14 आई. पी. सी. की धारा 497 को निरस्त करते हुए, संविधान पीठ ने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2019) 3 एस. सी. सी. 39 मामले में रूढ़िवादिता के संबंध में एक व्यापक चर्चा की है और पाया है कि इस तरह की रूढ़िवादिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को समाप्त करने से परे है।15 प्रेमचंद बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023) 5 एस. सी. सी. 522 (2-न्यायाधीश पीठ); जय देव बनाम पंजाब राज्य (ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 612); असरफ अली बनाम असम राज्य (2008) 16 एस. सी. सी. 328 (2-न्यायाधीश पीठ); सीमा शुल्क निरीक्षक बनाम यशपाल (2009) 4 एस. सी. सी. 769 (3-न्यायाधीश पीठ); फेनुल खान बनाम झारखंड राज्य (2019) 9 एस. सी. सी. 549 (2-न्यायाधीश पीठ); मोहम्मद.फिरोज बनाम एम. पी. राज्य (2022) 7 एस. सी. सी. 443 (3-न्यायाधीश पीठ); बिष्णु प्रसाद सिन्हा बनाम असम राज्य (2007) 11 एस. सी. सी. 467 (2-न्यायाधीश पीठ; देहल सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। (2010) 9 एस. सी. सी. 85 (2-न्यायाधीश पीठ); ब्रजेंद्रसिंह बनाम एम. पी. राज्य। (2012) 4 एस. सी. सी. 289 (2-न्यायाधीश पीठ); शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस. सी. सी. 116 (3-न्यायाधीश पीठ); हेट सिंह भगत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1951 एस. सी. सी. 1060); शामू बालू चौगुले बनाम महाराष्ट्र राज्य (1976) 1 एस. सी. सी. 438; पॉल बनाम केरल राज्य (2020) 3 एस. सी. सी. 115 (2-न्यायाधीश पीठ); कालीचरण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। (2023) 2 एस. सी. सी. 583 (2-न्यायाधीश पीठ); नसीब सिंह बनाम पंजाब राज्य (2022) 2 एस. सी. सी. 89 (3-न्यायाधीश पीठ); जय प्रकाश तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 966 (3-न्यायाधीश पीठ); सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2021) 6 एस. सी. सी. 1 (2-न्यायाधीश पीठ); बेबल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2012) 11 एस. सी. सी. 181 (2-न्यायाधीश पीठ); और सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) 7 एस. सी. सी. 263 (3-न्यायाधीश पीठ)।

34.4 धारा के अनुपालन के संबंध में अंतिम परीक्षा यह पूछताछ करना और यह सुनिश्चित करना है कि क्या अभियुक्त को अपनी बात कहने का अवसर मिला है।

34.5 इस तरह के बयान में, आरोपी संलिप्तता या किसी भी आपत्तिजनक परिस्थिति को स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है या घटनाओं या व्याख्या के एक वैकल्पिक संस्करण को भी स्वीकार कर सकता है।अभियुक्त को किसी भी चूक या अपर्याप्त पूछताछ से पूर्वाग्रह में नहीं डाला जा सकता है।

34.6 चुप रहने का अधिकार या किसी प्रश्न का कोई भी उत्तर जो गलत हो सकता है, उसका उपयोग उसके नुकसान के लिए नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह एकमात्र कारण है।

34.7 यह कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता है और न ही सबूत का एक ठोस और वैकल्पिक टुकड़ा है।यह आरोप मुक्त नहीं करता है लेकिन अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के प्रमुख साक्ष्य के बोझ को कम करता है।इनका उपयोग अभियोजन पक्ष के मामले की सच्चाई की जांच करने के लिए किया जाना है।34.8 इस कथन को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।एक भाग को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है।

34.9 ऐसा कथन, जो शपथ पर नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के तहत साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में योग्य नहीं है; हालाँकि, बयान से उत्पन्न होने वाले आक्षेपात्मक पहलू का उपयोग अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वास दिलाने के लिए किया जा सकता है।

34.10 धारा के तहत अपना बयान देते समय अभियुक्त को जिन परिस्थितियों में नहीं रखा गया है, उन्हें विचार से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें समझाने का कोई अवसर नहीं दिया गया है।

34.11 न्यायालय अभियुक्त के समक्ष सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों को प्रश्नों के रूप में रखने के लिए बाध्य है ताकि उसे अपना बचाव व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।इस तरह से व्यक्त किए गए बचाव की सावधानीपूर्वक जांच और विचार किया जाना चाहिए।

34.12 धारा का पालन न करने से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

प्रश्नों के उत्तर

35. ऊपर सूचीबद्ध सिद्धांतों के आलोक में, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या, इसके खिलाफ कथित अपराधकारी परिस्थितियों को समझाते हुए

यद्यपि, दोषी-अपीलार्थी को मृत बच्चे के साथ किसी भी संबंध से इनकार करने के अलावा, उसके गर्भपात और उसके बाद के विवरण का खुलासा करना चाहिए था; विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष मृतक और दोषी-अपीलार्थी के बीच इस तरह के संबंध स्थापित करने के अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है।

36. यह स्थापित किया गया है कि धारा 313 Cr.P.C के तहत बयान देते समय किसी आरोपी के सामने नहीं रखे गए प्रश्न या आपत्तिजनक परिस्थिति के लिए नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। उसका बयान, कहीं भी उस बच्चे के विवरण से संबंधित प्रश्न का उत्तर नहीं देता है जिसे वह स्वीकार करती थी, लेकिन इस बात से इनकार करती है कि मृतक वह नहीं था जिसे डाबरी से बरामद किया गया था।हालाँकि किसी आपराधिक मामले में निर्णय लेने के लिए आवश्यक पहलुओं

का खुलासा करने के लिए कानून द्वारा आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कर्तव्य अनुचित रूप से और अनुचित रूप से निजता के मौलिक अधिकार पर कदम नहीं उठा सकता है।

37. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के चश्मे से इस मामले की जांच करने से पहले, कानूनी स्थिति का उल्लेख करना उचित होगा।

38. शैलेंद्र राजदेव पासवन बनाम गुजरात राज्य 16 में यह न्यायालय

यह मत व्यक्त किया गया कि न्यायालयों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में कर्तव्यनिष्ठ दृष्टिकोण रखना चाहिए, और दोषसिद्धि केवल उन मामलों में दर्ज की जानी चाहिए जहां श्रृंखला के सभी संबंध पूर्ण हों, केवल अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए और कोई और नहीं, साथ ही उसकी निर्दोषता के तत्व को भी समाप्त कर देना चाहिए।प्रत्येक कड़ी, जब तक कि एक श्रृंखला बनाने के लिए एक साथ जुड़ी नहीं होती है, संदेह का सुझाव दे सकती है, लेकिन वही, अपने आप में, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है और आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

39. मुनिकृष्ण बनाम राज्य 17 में इस न्यायालय ने

हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 18 और शरद बर्डहिचंद सारदा 19 में निर्धारित मापदंडों में कहा गया है कि

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले, भारी जिम्मेदारी और कर्तव्य अभियोजन पक्ष पर डाला जाता है कि वह अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करे।

16 (2020) 14 एस. सी. सी. 750 (3-न्यायाधीश पीठ)

17 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1449 (3-न्यायाधीश पीठ) 18 (1952) 2 एस. सी. सी. 71 (3 न्यायाधीश पीठ)

19 (1984) 4 एस. सी. सी. 116 (3-न्यायाधीश पीठ)

975

इंद्रकुनवार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [संजय करोल, जे.] 976

40. शरद बर्डहिचंद सारदा (ऊपर) में, प्रभाव पर चर्चा करते हुए

स्पष्टीकरण का अभाव, इस न्यायालय ने कहा कि स्पष्टीकरण का अभाव या गलत स्पष्टीकरण श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के बराबर होगा बशर्ते कि निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को संतुष्ट किया जाना चाहिए, अर्थात, अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न लिंक संतोषजनक रूप से साबित हुए हैं; यह केवल उचित अवज्ञा के साथ अभियुक्त के अपराध और समय और स्थिति के साथ परिस्थिति की निकटता की ओर इशारा करना चाहिए।

41. यह रिकॉर्ड की बात है कि किसी भी गवाह ने दोषी-अपीलकर्ता को मृत बच्चे को डबरी में फेंकते हुए नहीं देखा है; जैसा कि अब तक देखा गया है, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी प्रकृति के संबंध

का कोई निर्णायक सबूत नहीं दिया गया था; दोषी के बयान पर संदेह करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है।जन्म से पहले या बाद में हुई मृतक की मृत्यु पर डॉक्टर का बयान मौन है, हालांकि मुख्य रूप से जांच में, डॉक्टर ने कहा है कि मृत बच्चे की मृत्यु प्रकृति में हत्या थी; हालाँकि, प्रतिपरीक्षा में, यह स्वीकार किया जाता है कि इस तरह का तथ्य रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, जिससे निष्कर्ष पर ही सवाल उठाया जाता है क्योंकि यह जानकारी का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जिसे छोड़ दिया गया है।

42. अभियोजन पक्ष के मामले में ऊपर उल्लिखित अंतरालों पर विचार करने के बाद, हम विद्वान न्यायालयों से सहमत नहीं हो सकते हैं कि परिस्थितियाँ निर्णायक रूप से दोषी-अपीलार्थी, इंद्रकुंवर के अपराध की ओर इशारा करती हैं।43. पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, हम मानते हैं कि दोषी-अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि पूरी तरह से केवल अनुमान पर आधारित है, जिसमें रिकॉर्ड पर वास्तविक साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है।हम यह देखने के लिए विवश हैं कि उच्च न्यायालय ने बिना कोई ठोस कारण बताए आजीवन कारावास की सजा देने वाले निचली अदालत के विचार को स्वीकार कर लिया है।

44. मामले के उस दृष्टिकोण में, 2004 के सत्र परीक्षण में निचली अदालत द्वारा वापस की गई दोषसिद्धि और 2005 की आपराधिक अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दायर याचिका को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।दोषी-अपीलार्थी को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है और यदि वह तत्काल जमानत के संबंध में जेल में है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाता है। उसके जमानत बांड जारी किए जाते हैं।

45. तत्काल मामले में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर ऊपर दिया गया है।46. अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

47. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान